सूचना
का अधिकार

पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

पावरग्रिड

CP/RTI/2016/720 Date: 23rd, 2017

Shri Gaurav Sharma,
H. No 31, Ground Floor,
Jail Raod Jahangirabad,
Bhopal – 462 008
Madhya Pradesh.

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Dear Sir,

This has reference to your online RTI request received on 2nd March, 2017 seeking information under RTI Act, 2005.

The information sought is attached as **Annexure-I.**

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Ashwani Jain
Executive Director (CMG) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: aj@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

23/3

(अजय होलानी)
अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Annex-I

श्री गौरव शर्मा, जहांगीराबाद, भोपाल के द्वारा सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई जानकारी

निवेदक द्वारा माँगी गई जानकारी सामान्य प्रकृति के हैं तथा विशेष रूप पॉवरग्रिड के किसी भी पारेषण लाइन से संबध नहीं रखते हैं।

माँगी गई जानकारी निम्न विबरण के अनुसार है।

(1.) 765kV पारेषण लाइन से किसी Building या Building के किसी भाग की न्यूनतम दूरी *Central Electricity Authority Regulations for "Measures relating to Safety and Electric Supply, 2010"** के अनुसार तय किए जाते है। इसके अनुसार दूरी निम्न से कम नहीं होनी चहिए:

समानांतर (Horizontal) (सबसे नजदीकी सुचालक (conductor) से वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन की स्थिति में) **दूरी:8.9m,**

लम्बवत (Vertical) (इमारत के सबसे उँचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल की स्थिति में) **दूरी-10.6m**

(2.) भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय द्वारा पारेषण लाइन के राइट ऑफ वे(मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत टॉवर के लिए उपयोग की जा रही भूमि एवं तार के नीचे आनेवाली भूमि हेतु मुआवजा के लिए दिशा निर्देश दिनांक:18/10/2015* को जारी किए गए है जो कि निम्न है:

(अ) टावर खड़ा करने की वजह से बूरी तरह प्रभावित टावर के बेस एरिया (चारो लेग के बीच की जगह) की जमीन की मूल्य का 85% भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

(आ) पारेषण लाइन बिछाए जाने की वजह से, राइट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार) के अंदर आनेवाली जमीन की मूल्य का 15% (अधिकतम) भाग मुआवजा के लिए देय होगा।

इस संबंध में भारत सरकार ने मुआवजा के लिए उपरोक्त उल्लिखित दिशा निर्देशों के पालन हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को आग्रह किया है।

(3.) मुआवजा वर्तमान स्थिति (यथा खड़ी फसलों इत्यादी) के नुकसान को ध्यानकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जमीन के नुकसान का मुआवजा (2.) के अनुसार देय होगा। मुआवजे के लिए जमीन का मूल्य जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा, सर्किल रेट/ गाइड लाइन वैल्यू/ स्टाम्प एक्ट रेट के आधार पर निश्चित किया जाएगा ।

*विस्तृत जानकारी इस संबंध में CEA तथा ministry of power के website से प्राप्त की जा सकती है।